

मद 4 (1) (ख) - (v)

अपने कार्य के निर्वहन के लिए इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रण में रखे गए अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश मैनुअल और रिकार्ड

कृपया अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियमों, विनियमों, अनुदेश, मैनुअलों और अभिलेखों की सूची प्रदान करें।

5.1 पारेषण और वितरण प्रभाग

5.1.1 पारेषण एवं वितरण के अंतर्गत वित्तपोषित स्कीमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

5.1.2 स्कीम प्रोसेसिंग, संवितरण, सुरक्षा, पुनर्भुगतान, ऋण के नियम एवं शर्तों इत्यादि से संबंधित ब्याज दर परिपत्र और ऋण नीति परिपत्र

5.1.3 मानक ऋण दस्तावेज

5.1.4 सीईआरसी/एसईआरसी द्वारा जारी आदेश

5.2 आरजीजीवीवाई प्रभाग

5.2.1 विद्युतीकृत किए जाने वाले शेष बचे अविद्युतीकृत गांवों सहित राज्य में संयुक्त परियोजनाओं के लिए, परियोजनाएं तैयार करने के दिशानिर्देश

5.2.2 शत प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण स्तर वाले राज्यों में विद्युतीकृत गांवों के लिए परियोजनाएं तैयार करने हेतु दिशानिर्देश

5.2.3 प्रोजेक्ट क्षेत्रों में विद्युतीकृत गांवों के लिए अनुपूरक परियोजनाओं के परियोजना निर्माण संबंधी दिशानिर्देश

5.2.4 सामान सेवाओं के प्रापण के लिए तथा आरईसी के विनिर्देशनों एवं निर्माण मानकों में संशोधन के लिए दिशानिर्देश

5.3 विद्युत उत्पादन प्रभाग

5.3.1 प्राइवेट आईपीपी के लिए ऋण आवेदन फार्म (फार्मों)

5.3.2 सरकारी/सार्वजनिक कंपनियों/राज्य बिजली बोर्डों के लिए ऋण आवेदन फार्म (फार्मों)

5.4 मॉनीटरिंग प्रभाग

5.4.1 पारेषण एवं वितरण स्कीमों तथा विद्युत उत्पादन स्कीमों की मॉनीटरिंग के लिए दिशानिर्देश

5.4.2 आरईसी के निर्माण मानक और विनिर्देशन (इलेक्ट्रॉनिक फार्म में)

5.5 मानव संसाधन

5.5.1 आरईसी सेवा नियमावली

5.5.2 आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली

5.5.3 शक्तियों का प्रत्यायोजन

5.5.4 नई नीति तैयार करना अथवा मौजूदा नीति/नियमावली में संशोधन को सामान्य परिचालन के साथ साथ इसे आरईसी इंटरनेट पर अपलोड कराया जाता है।

5.6 कंपनी सचिवालय प्रभाग

5.6.1 संस्था की अंतर्नियमावली और संस्था के अंतर्नियम

5.6.2 वार्षिक रिपोर्टें

5.6.3 ऋण नीति परिपत्र

5.6.4 आईएसओ शीर्ष गुणता मैनुअल

5.6.5 सूचीबद्धता करार

5.6.6 आरईसी में कपट को रोकने की नीति।

5.6.7 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी की उचित व्यवहार संहिता

5.6.8 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए व्यापार, आचार और नैतिकता संहिता।

5.6.9 आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का भेदिया व्यापार निवारण हेतु संहिता

5.6.10 शक्तियों का प्रत्यायोजन

5.6.11 आरईसी में व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

5.6.12 शेयरधारकों के ब्यौरे दर्ज करना

5.7 ऋण एवं वसूली अनुभाग

5.7.1 ऋण नीति परिपत्र

5.7.2 वसूली दिशानिर्देश

5.7.3 विवेकपूर्ण मानदंड

5.7.4 उचित व्यवहार संहिता

5.7.5 अल्पकालिक ऋण मूल्यांकन नीति

5.8 आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग

5.8.1 आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल

5.8.2 वर्ष 2013-14 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम

आईटी पोर्टल के लिए आ.ले.प कार्यक्रम 13-14 (3) पीडीएफ

5.9 सतर्कता प्रभाग

सतर्कता प्रभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा /अथवा विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित/जारी नियमों, विनियमों, अनुदेशों, मैनुअलों इत्यादि का दृढ़ता से अनुपालन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिचालित/जारी नियम जनता के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिनका लिंक भी आरईसी की वेबसाइट के साथ है। सतर्कता प्रभाग, आरईसी(सीडीए) नियमावली में निहित नियमों, विनियमों और अनुदेशों का भी दृढ़ता से अनुपालन करता है।

5.10 विधि अनुभाग

(1) विधि अनुभाग द्वारा रखे गए अभिलेख, केवल निगम के विधि मामलों से संबंधित और ऋण दस्तावेजों की सुरक्षा करता है।

- (2) निगम के नियमों, विनियमों और अनुदेशों को विधि अनुभाग द्वारा अपनाया जाता है।
(3) मैनुअल केवल आंतरिक प्रयोजन के लिए है।

5.11 कारपोरेट प्लानिंग प्रभाग

- 5.11.1 समझौता ज्ञापन(एमओयू)पर आरईसी और विद्युत मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
मूल रूप से हस्ताक्षरित एमओयू सीपी प्रभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ के लिए रखे जाते हैं।

5.12 विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन प्रभाग

- 5.12.1 विद्युत मंत्रालय ने डीडीजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन, डीपीआर तैयार करने, प्रापण आदि के लिए डीडीजी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

5.13 अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी नियमों, विनियमों, मैनुअलों, दिशानिर्देशों, ऋण दस्तावेजों,सीईआरसी/एसईआरसी के आदेशों, परियोजना निर्माण, खरीद, कार्यान्वयन, ड्रा-डाउन और मॉनीटरिंग के लिए विदेशी उधार एजेंसियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ साथ प्रोजेक्ट्स द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के तहत वित्तपोषित (टीएंडडी/जेनरेशन/रिन्यूएबल) के लिए निर्धारित मानदंडों का अनुकरण किया जाता है।

5.14 नवीकरणीय ऊर्जा प्रभाग

- 5.14.1 उधारकर्ताओं के लिए आवेदन फार्म सहित दिशानिर्देश
5.14.2 नवीकरणीय ऊर्जा, उधारकर्ता रेटिंग मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट रेटिंग मैट्रिक्स, वित्तपोषण मानदंडों के लिए परियोजना मूल्यांकन दिशानिर्देश/मंजूरी पूर्व दिशानिर्देश
5.14.3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, मानक प्रलेखीकरण के लिए मंजूरी पश्चात दिशानिर्देश
5.14.4 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट